

प्रारूप -पांच
(देखिये नियम 12)
कालोनी के विकास की अनुमति

तारीख 20/11/2012

अनुमति क्रमांक 14/ब/121 वर्ष 2012-13

मध्य प्रदेश / छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अर्न्तगत निर्मित मध्यप्रदेश / छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :-

श्री / श्रीमती / मेसर्स
आत्मज
निवासी
मोहल्ला

सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा0लि0, द्वारा- डॉयरेक्टर, सुबोध सिंघानिया
श्री श्यामलाल सिंघानिया,
श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड रायपुर, छ0ग0
श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड रायपुर, छ0ग0 रजि0आफिस आमानाका,
जी0ई0रोड रायपुर
मोहबा बाजार, रायपुर, छ0ग0
रायपुर, छ0ग0
रायपुर
रायपुर, छ0ग0

ग्राम / वार्ड
नगर
तहसील
जिला

को ग्राम - औरैठी प0ह0न0 16 रा0नि0म0 एवं तहसील सिमगा स्थित निचे लिखे खसरा क्रमांक व रकबा की परिवर्तित भूमि जो इस प्रकार है :-

क्र0	आवेदित ख0नं0	रकबा हे0में	क्र0	आवेदित ख0नं0	रकबा हे0में
1.	55	0.413	15.	49/1	0.571
2.	57/3	0.105	16.	50	0.652
3.	58/3	0.323	17.	42	0.777
4.	62/4	0.753	18.	46	0.210
5.	51/1	0.353	19.	47	0.405
6.	51/2	0.159	20.	39/1	0.219
7.	52	0.320	21.	39/2	0.547
8.	53	0.833	22.	39/3	0.162
9.	54	0.494	23.	40	0.372
10.	48/1	0.841	24.	41	0.247
11.	49/2	0.129	25.	43	1.449
12.	49/3	0.129	26.	44/1	0.227
13.	48/2	0.864	27.	44/2	0.396
14.	49/4	0.135	28.	44/3	0.226




For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

क्रमशः -2

[Signature]
Director

क्र०	आवेदित ख०नं०	रकबा हे०में	क्र०	आवेदित ख०नं०	रकबा हे०में
29.	45	0.308	41.	34/6	0.279
30.	30	1.084	42.	36/1	0.048
31.	31	0.571	43.	36/2	0.049
32.	32/3	0.235	44.	37/1	0.338
33.	32/4	0.098	45.	37/2	0.339
34.	32/1	0.231	46.	38	0.227
35.	32/2	0.024		कुल -46	16.847
36.	34/1	0.037			
37.	34/2	0.160			
38.	34/3	0.144			
39.	34/4	0.144			
40.	34/5	0.220			


- में निचे लिखे शर्तों पर आवासीय कालोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
1. नगर भूमि सीमा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा ।
 2. म०प्र०/छ०ग० भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।
 3. नगर तथा ग्राम अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा ।
 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भू-खण्डों / भवनों का विकास निर्माण प्रथमतः करना होगा ।
 5. बाह्य विकास शुल्क नियमानुसार कालोनी विकास के पूर्व देय होगा ।
 6. छ०ग० ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के नियम 12 में दिये निर्देश तथा शर्तों का पालन आवेदक को करना होगा ।


अनुविभागीय अधिकारी,
भाटापारा

पृ०क्र० / क/अ०वि०अ०/वाचक/2012
प्रतिलिपि :-

भाटापारा, दिनांक-20-11-2012

1. उप-पंजीयक, सिमगा को चिन्हांकित नक्शा के साथ सूचनार्थ प्रेषित कृपया संलग्न नक्शा में बंधक हेतु वर्णित भू-खण्डों कमांको को बंधक रखा गया है । बंधक रखे गये भू-खण्डों को इस कार्यालय के अनुमति के बिना उनका पंजीयन न करें ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, औरठी को संलग्न नक्शा के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।
3. हल्का पटवारी प०ह०न० 16 को संलग्न नक्शा अनुसार सूचनार्थ एवं कमजोर आय वर्ग(ई०डब्ल्यू०एस०) के लिये आरक्षित भू-खण्डों को शासन के पक्ष में कब्जा लेकर ग्राम पंचायत को कब्जा सौंप कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित ।


अनुविभागीय अधिकारी,
भाटापारा



For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.


Director